


The Court of Subordinate Judge-II, Pupri (Sitamarhi)

Partition Suit No. 198/2021

Reg. No. PS.198/2021

Shahjahan Begum & Ors. (Plaintiffs) Vs. Md. Khurshid Alam & Ors. (Defendants)

Serial No.	Date of order of proceeding	Order with signature of the Court	Office action taken with date
	29.03.2022	<p>वादी की हाजरी दी गई है। वाद पुकार किया गया। वाद पुकार पर वादी पक्ष उपस्थित हुए। वादी की ओर से दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 4 के अंतर्गत दाखिल शपथ पत्र से समर्थित आवेदन तथा कालबाधा को क्षांत करने का आज आवेदन दिया गया। वादी पक्ष को सुना। आवेदन सुनवाई पश्चात् आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>वादी ने अपने आवेदन में यह निवेदन किया है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी संख्या 5 अब्दुल हफीज का स्वर्गवास दिनांक 13.12.2021 को हो गया है। वादी के अधिवक्ता यह निवेदन करते हैं कि पक्षकार ने मुझे देर से सूचना दी, जिस कारण से न्यायालय में आवेदन देने में विलंब हुआ। अतः बिलंब को माफ करते हुए मृतक प्रतिवादी का नाम वाद पत्र से विलोपित किये जाने की कृपा की जाए।</p> <p>वादी पक्ष को सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से वादी द्वारा किया गया आवेदनांकित कथन प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होता है। वादी के कथनानुसार प्रतिवादी संख्या 5 अब्दुल हफीज की मृत्यु हो चुकी है तथा उनके वारिसान पूर्व से पक्षकार है। अतः कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि उक्त आवेदन के आलोक में वाद पत्र से प्रतिवादी संख्या 5 अब्दुल हफीज का नाम विलोपित करें।</p> <p style="text-align: right;"> [कवीन्द्र कुमार], अवर न्यायाधीश-द्वितीय पुपरी, सीतामढ़ी,</p>	